हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

प्रेषकः सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।	सेवा में, सभी प्राचार्य, मुख्याध्यापक

क्रमांक : 11863 /सै0 दिनांक : 21.03.2022

विषय : सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा मार्च–2022 से सम्बन्धित प्रवेश–पत्र हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। गत वर्षों में देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा समय रहते विवरणों को सही प्रकार से चैक नहीं किए जाने के कारण परीक्षार्थियों के विवरणों में जैसेः– फोटो/हस्ताक्षर इत्यादि गलत पाए जाते है, जिसे सम्बन्धित द्वारा समय रहते ठीक नहीं करवाया जाता है, इस कारण छात्रों को परीक्षा के समय मानसिक व आर्थिक परेशानी होती है। अतः प्रवेश–पत्र में दर्ज विवरणों को भली–भांति जांच ले यदि कोई त्रुटि है तो दिनांक 24.03.2022 तक हर अवस्था में ठीक करवाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त फोटो/हस्ताक्षर या अन्य किसी भी विवरण में कोई शुद्धि नहीं की जाएगी, जिसके लिए विद्यालय/संस्था स्वंय जिम्मेवार होंगे।

इस सन्दर्भ में कुछ दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से हैं इनकी दृढ़ता से पालना की जाए :–

1. A-4 साईज पेपर पर प्रवेश–पत्र का रंगीन प्रिंट लिया जाना आवश्यक है।
2. प्रवेश–पत्र केवल पात्र परीक्षार्थियों को ही जारी किए जाएं।
3. प्रवेश–पत्र में दर्ज परीक्षार्थियों के विवरणों में जैसेः– नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फोटो एवं हस्ताक्षर इत्यादि की जांच कर लें यदि इनमें कोई त्रुटि है तो शुद्धि शुल्क 300/रू0 के साथ दिनांक 24.03.2022 तक ठीक करवाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार की शुद्धि हेतु दिए गए किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
4. परीक्षार्थियों को प्रवेश–पत्र जारी करने से पूर्व, आवेदन करते समय स्कैन किया गया फोटो चिपकाकर फोटो तथा प्रवेश–पत्र विद्यालय मुखिया द्वारा सत्यापित किया जाना है।
5. दिव्यांग परीक्षार्थी के लिए लेखक उपलब्ध करवाने की अनुमति परीक्षाएं आरम्भ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से ली जानी होगी, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसेः– मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मैडिकल प्रमाण–पत्र, लेखक हेतु प्रार्थना–पत्र, दो लेखकों की दो सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो, सैकेण्डरी परीक्षा के लिए लेखक हेतु नौवीं कक्षा व सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के लिए लेखक हेतु ग्यारहवीं कक्षा का परिणाम, दो लेखकों की दो फोटो युक्त आई0 डी0 आदि दस्तावेज जमा करवाने उपरान्त लेखक की अनुमति प्रदान की जाएगी। लेखक लेने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2022 तक भेजना सुनिश्चित करें।
6. **Dyscalulia** (डिसकैलकुलिया) से पीड़ित परीक्षार्थी यदि लेखक की सुविधा नहीं लेता है तो उसे परीक्षा केन्द्र पर सामान्य कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षार्थी के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी (C.M.O)द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
7. परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें तथा प्रवेश–पत्र को लेमिनेशन न करवाएं क्योंकि प्रवेश–पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।
8. परीक्षार्थी को निर्देश दें कि परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में विद्यालय के आई0डी0 कार्ड/आधार कार्ड परीक्षा केन्द्र पर साथ अवश्य लेकर जाएं तथा परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसेः–मोबाईल, कलकुलेटर आदि का उपयोग वर्जित है।
9. शहीद सैनिकों के आश्रित, दिव्यांग परीक्षार्थी जो परीक्षा केन्द्र बदलना चाहते है एवं खिलाड़ी परीक्षार्थी जो देश–विदेश में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण परीक्षा बाद में देना चाहते है उनकी सूचना दिनांक 24.03.2022 तक बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध अवश्य करवाएं।

सहायक सचिव (सैकेण्डरी)
कृतेः सचिव

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी हिदायतें/निर्देश पढ़ लिए गए है तथा इनकी दृढ़ता से पालना की जाएगी। यदि समय रहते कोई त्रुटि ठीक नहीं करवाई जाती है तो विद्यालय स्वंय जिम्मेवार होगा।

मुख्याध्यापक/प्राचार्य